

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जून 2022—ज्येष्ठ 30, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जून 2022

अधि. क्र. 85-एफ-1-45-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 36 सन् 1956) की धारा 14 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11-एफ-1-8-2014-अठारह-3, दिनांक 30 मई, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संबंधित नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करती है :—

सारणी

नगरीय स्थानीय निकाय का प्रकार (1)	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (2)	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा (3)
नगर पालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक (दो) 10 लाख से कम	(एक) रु. 35 लाख (दो) रु. 15 लाख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2022

एफ-1-45-2019-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधि. क्रमांक 85-एफ-1-45-2019-अठारह-3, दिनांक 20 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 20th June 2022

Not. No. 85-F-1-45-2019-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 36 of 1956) and in supersession of this department's Notification No. 11-F-1-8-2014-XVIII-3, dated 30th May, 2014, the State Government hereby, determine the limit of election expenditure for the Mayor of Municipal Corporation as follows :—

TABLE

ULB's Type (1)	Population as per census 2011 (2)	Maximum limit of election expenditure (3)
Municipal Corporation	(i) Above 10 lakh	(i) Rs. 35 lakh
	(ii) Below 10 lakh	(ii) Rs. 15 lakh

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.